न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 178/2020

अनवान मुकदमा –

1. गजन सिंह पुत्र श्री पठान सिंह जाति राय सिख साकिन 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पठान सिंह जाति राय सिख साकिन 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सजन सिंह पुत्र श्री पठान सिंह जाति राय सिख साकिन 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. बैंक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई जरिये शाखा प्रबंधक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजन :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अनिल सिंहाग अधिवक्ता --- वादी
2. श्री मदन गोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 4

–:: निर्णय :–

दिनांक – 09/05/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीकृत व प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में निवेदित है।

वाके तहसील पीलीबंगा के चक 34 एस.टी.जी. के मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2071 चालू के खाता संख्या 55/45 पत्थर नम्बर 9/339 मुरब्बा 9 के किला नम्बर 11/3/.126, 18/.228, 19/.228, 20/3/.025, 22/2/.025, 23/2/.228, 24/.240, 25/.063 की 1.1630 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 9/340 के मुरब्बा 11 के किला नम्बर 1 ता 12 की 3.036, 13/1/.126 की 3.162 हैक्टेयर कुल दोनों पत्थरों की 4.325 हैक्टेयर नाली प्रथम व नाली द्वितीय की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खाता कि ब.हि.ब.दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी कृषि भूमि । अवलोकनार्थ सत्य जमाबंदी है।

वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी अपने हक व हिस्सा चक 34 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 9/340 मु0 11 के किला नम्बर 5, 6, 7/.025, 8/.013, 11, 12, 13/.126 की 1.176 व पत्थर नम्बर 9/339 मु0 नम्बर 9 के किला नम्बर 24/.202, 25/.063 की .265 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 1.441 हैक्टेयर नाली प्रथम व द्वितीय कृषि भूमि पर लम्बें अर्से से कब्जा काश्त है, और कृषि कार्य करता है, व उक्त किला नम्बर 6 में मुझ वादी की ढ़ाणी बनी हुई है। जिसमें वादी अपने परिवार सहित निवास करता है।

09.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मुझ वादी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये बेचने की फिराक में है, और बार बार मुझ वादी की कब्जा की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की धमकिया दे रहे है जबकि में वादी पत्र उक्त संयुक्त खाते की कृषि भूमि का रिकॉर्ड खातेदार मालिक हूँ जिसे विधिवत प्रतिवादीगण बिना खाता विभाजन करावाये ही उक्त कृषि भूमि में से बेचान करने के अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टता मामला व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी वादी के पक्ष में है। तथा वादी श्रीमान जी के न्यायालय से अपनी उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने का कानूनन हकदार है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

क. कि घोषित किया जावे कि वादी पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि में मुझ वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 34 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 9/340 मु0 11 के किला नम्बर 5, 6, 7/.025, 8/.013, 11, 12, 13/.126 की 1.176 व पत्थर नम्बर 9/339 मु0 नम्बर 9 के किला नम्बर 24/.202, 25/.063 की .265 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 1.441 हैक्टेयर नाली प्रथम व द्वितीय कृषि भूमि को खाता विभाजन में मुझ वादी को दी जाकर व उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने व रकमराज करवाने के आदेश फरमाये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। राजपैरोकार से स्टेट जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिशल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है।

09.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है –

क. वादी (गजन सिंह) –

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/339(9) कि0न0 11/0.126, 24/0.117, 25/0.063 व प0न0 9/340(11) कि0न0 5/0.253, 6/0.240, 11, 12, 13/0.126 कुल 1.431 है0 नाली प्रथम द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि।

ख. प्रतिवादी सं. 1 (महेन्द्र सिंह) –

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/339(9) कि0न0 18/0.228, 23/0.0735, 24/0.123 व प0न0 9/340(11) कि0न0 1, 2, 3, 4/0.127, 7/0.1205 की कुल 1.431 है0 नाली प्रथम द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि।

ग. प्रतिवादी सं. 2 (सजन सिंह)–

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/339(9) कि0न0 19/0.228, 20/3/0.025, 22/2/0.025, 23/0.1545 व प0न0 9/340(11) कि0न0 4/0.126, 7/0.1205, 8/0.246, 9, 10 की कुल 1.431 है0 नाली प्रथम द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि।

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/340(11) कि0न0 6/0.013, 7/0.012, 8/0.007 कुल 0.032 है0 गै0मु0 रास्ता जो उक्त किलों के दक्षिण दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 1–1 बिस्वा चौड़ा व पूर्व–पश्चिम $2^{1}/_{2}$ बीघा लम्बा गै0मु0 रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

09.05.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(आ0–20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या :– 178/2020
अनवान मुकदमा –

1. गजन सिंह पुत्र श्री पठान सिंह जाति राय सिख साकिन 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पठान सिंह जाति राय सिख साकिन 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सजन सिंह पुत्र श्री पठान सिंह जाति राय सिख साकिन 34 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. बैंक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई जरिये शाखा प्रबंधक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजन :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 09/05/2022

वादी की ओर से श्री अनिल सिंहाग अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर महेन्द्र सैन, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है –

क. वादी (गजन सिंह) –
तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/339(9) कि0न0 11/0.126, 24/0.117, 25/0.063 व प0न0 9/340(11) कि0न0 5/0.253, 6/0.240, 11, 12, 13/0.126 कुल 1.431 है0 नाली प्रथम द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि।

ख. प्रतिवादी सं. 1 (महेन्द्र सिंह) –
तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/339(9) कि0न0 18/0.228, 23/0.0735, 24/0.123 व प0न0 9/340(11) कि0न0 1, 2, 3, 4/0.127, 7/0.1205 की कुल 1.431 है0 नाली प्रथम द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि।

ग. प्रतिवादी सं. 2 (सजन सिंह)–
तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/339(9) कि0न0 19/0.228, 20/3/0.025, 22/2/0.025, 23/0.1545 व प0न0 9/340(11) कि0न0 4/0.126, 7/0.1205, 8/0.246, 9, 10 की कुल 1.431 है0 नाली प्रथम द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि।

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प0न0 9/340(11) कि0न0 6/0.013, 7/0.012, 8/0.007 कुल 0.032 है0 गै0मु0 रास्ता जो उक्त किलों के दक्षिण

09.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 1–1 बिस्वा चौड़ा व पूर्व–पश्चिम $2\frac{1}{2}$ बीघा लम्बा गै0मु0 रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 05/05/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.05.2021

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा